JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका

डॉ० नीलम चौरसिया
असिस्टेंट प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बिलोहा, गैंसड़ी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के समान ही महत्व रखती हैं। वर्तमान समय में महिलाएं अपनी प्रतिभा एवं काबिलियत का लोहा हर क्षेत्र में मनवा रही हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता ने देश के आर्थिक विकास में नया मुकाम स्थापित किया है। भारत के दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं जो अशिक्षा, अज्ञानता एवं अंधविश्वास की जंज़ीरों से जकड़ी हुई हैं, उनके लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के प्रसार से एक नई ऊर्जा, किरण व आशा का संचार हुआ है। महिलाएं शक्ति स्वरूपा कही जाती हैं। उनके अंदर अपार शक्ति , ऊर्जा एवं प्रतिभा का भंडार है। आवश्यकता है इस शक्ति व श्रम का सही सदुपयोग करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की। जो महिलाएं रोजगार के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती उनके लिए लघु एवं कुटीर उद्योग सर्वोत्तम विकल्प है। परिवार या गाँव की महिलाएं ही संगठित होकर कुटीर एवं लघु उद्योगों की शुरुआत कर सकती है। मोरार जी देसाई का कहना था कि *"ऐसे कुटीर उद्योगों से ग्रामीण लोगों का अधिकांश समय जो बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालिक रोजगार प्राप्त होता है"।* ऐसे में लघु एवं कुटीर उद्योगों को ग्रामीणों की लाइफलाइन कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी।

कीवर्ड- लघु उद्योग, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, कुटीर उद्योग।

प्रस्तावना

महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने में लघु एवं कुटीर उद्योग की महती भूमिका है। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है या यूँ कहें कि पुरुषों से भी आगे निकल रही है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निवर्हन के साथ-साथ स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आर्थिक स्वावलंबन की बात यदि महिलाओं के परिपेक्ष में कई जाए तो चाहे साक्षर हो या निरक्षर, ग्रामीण अंचल हो या शहरी परिवेश, लघु उद्योग धंधों ने महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके माध्यम से वे निरंतर विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा पहलू ही आर्थिक निर्भरता है। जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत व समृद्ध नही होंगी तब तक महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बेमानी है। आधुनिकीकरण के इस युग में महिलाओं ने अपनी काबिलियत, क्षमता व दृढ़ विश्वास के बल पर अपनी एक नई और अलग पहचान बनाई है। अब महिला अबला नारी नही, सबला नारी है। सशक्त महिलाएं निरंतर विकास की दिशा में, समाज को बेहतर बनाने में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में आगे रहती हैं।

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं के आर्थिक विकास व आय अर्जित गतिविधियों का एक मुख्य योगदान है। लघु उद्योगों के संदर्भ में बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर ही छोटे-मोटे काम धंधे जैसे महिलाओं द्वारा अचार-पापड़, मुरब्बा बनाना, सिलाई करना, कुल्हड़ बनाना, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बांस की टोकरियाँ, दोना-पत्तल नमकीन-मठरी बनाना आदि ऐसे बहुत से काम है जिनके द्वारा महिलाएं अपनी आर्थिक स्तिथि को सुदृढ़ कर सकती हैं। लघु उद्योग-धंधों के लिए बहुत निवेश या ऋण की आवश्यकता नही पड़ती। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके, घर में ही रहकर अपनी आजीविका चला रही हैं। लघु उद्योग में तकनीकी दक्षता की अपेक्षा श्रम शक्ति एवं छोटी पूंजी के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी स्तिथि में ग्रामीण अंचल में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में लघु एवं कुटीर उद्योग को महती भूमिका है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर

कुटीर उद्योग:

ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी मशीनों की सहायता लिए बिना बहुत ही कम निवेश तथा व्यक्तिगत पूंजी के आधार पर श्रम शक्ति द्वारा उत्पादन का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योगों में कारीगर अपने हस्त कौशलों का प्रयोग करके घर की चहारदीवारी में रहकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं।

लघु उद्योग:

लघु उद्योगों में हस्त कौशलों के साथ-साथ मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। ऐसे उद्योगों को छोटी पूंजी, कम श्रमशक्ति के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मजदूरों व श्रमिकों की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की आवश्यकता

गांधी जी का कथन था कि भारत के गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवथा की आधार शिला है ग्रामीण अंचल। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अभी भी शिक्षा एवं आधुनिकरण से कोसों दूर हैं। घर की चहारदीवारी से निकलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करना उसके लिए सपने के समान है। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। अपने घरों में रहकर ही महिलाएं विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों में सहभागिता कर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योग के फायदे

1. **रोजगार के अवसर व सृजन**: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास पूंजी की कमी व तकनीकी ज्ञान का ज़्यादातर अभाव ही रहता है, ऐसे में महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार श्रमशक्ति और प्रयास के बल से अनेकों

प्रकार की वस्तुएं बना सकती हैं और रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। कम पूंजी व अधिक श्रमशक्ति, जो ग्रामीण अंचल की विशेषता है, का सही सदुपयोग कुटीर एवं लघु उद्योगों ने संभव कर दिया है।

2. **आर्थिक आत्मनिर्भरता**: जब महिलाएं रोज़गारों में अपने हाथ आज़माती हैं, तब महिलाओं की आमदनी होती है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्तिथि सुधरती है। साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस कारण अब सरकार भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। ताकि महिलाएं जो अशिक्षित हैं, जो नौकरी कर पैसे नहीं कमा सकती, ऐसे उद्योगों से वे स्वविलंबी बन सकें।

3. **उत्पादन में बढ़त**: लघु एवं कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन अतिशीघ्र होता है। साथ ही साथ मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर उत्पादन में बढ़त भी होती है। यही कारण है कि ऐसे उद्योगों को □शीघ्र उत्पादक उद्योगों□ की संज्ञा दी जाती है।

4. **उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग**: कुटीर एवं लघु उद्योगों के द्वारा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है। चाहे वह पशु धन हो, नदियां हो, पहाड़ हो, मिट्टी हो, लकड़ी का फर्नीचर, सजावटी सामग्री, हैंडीक्राफ्ट का कार्य आदि।

5. **स्थानीय स्तर पर वस्तुओं की उपलब्धता**: सुदूर गाँवों में कुटीर उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन एवं सेवाएं दी जाती हैं, उसका लाभ स्थानीय स्तर पर सभी वर्गों के लोगों को मिलता है। इन वस्तुओं को ज़्यादातर लोकल व आस-पास की जगहों पर ही बेचा जाता है। जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

6. **देश के आर्थिक विकास में सहायक**: लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात अब स्थानीय जगहों के अलावा बड़े शहरों में भी किया जा रहा है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उद्योग राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान दे रहे हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के द्वारा देश व राष्ट्र का विकास किया जा सकता है।

7. **कलात्मक कौशल का संरक्षण**: प्राचीन काल से ही ग्रामीण महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित कलात्मक समान जैसे- टेराकोटा का सामान, हाथी के दाँत के कंगन, लकड़ी पर नक्काशी, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की मूर्ति, विभिन्न प्रकार की कढ़ाई के वस्त्र, लाख की चूड़ियाँ बनाना, हैंडीक्राफ्ट व सजावट के सामान बनाये जाते हैं। इस प्रकार इन उद्योगों के द्वारा आज भी हमारे देश में ये कलात्मक कौशल संरक्षित है।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

1. वित्तीय सहायता
2. करों में छूट
3. प्रदर्शनियों का आयोजन
4. लाइसेन्स में छूट
5. विभिन्न प्रकार की योजनाएं-
    - अन्नपूर्णा योजना
    - स्त्री शक्ति पैकेज
    - उद्योगिनी योजना
    - देना शक्ति योजना
    - सेंट कल्याणी योजना
    - महिला उद्योग निधि
    - ओरिएंट महिला विकास योजना
    - मुद्रा योजना

वित्तीय सहायता: लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जिससे उत्पादन बढ़त में सहायता प्राप्त हो रही है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्प एवं दीर्घकालीन ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने व स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु पूंजी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके अभाव में लघु एवं कुटीर उद्योग की कल्पना नहीं कि जा सकती।

करों में छूट: ऐसे उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं को ज़्यादातर उत्पादन कर या अन्य करों को दायरे में नहीं रखा जाता है, अर्थात इन्हें करों से छूट प्रदान की गई है। यदि लगाई भी गयी हैं तो वे बहुत कम दरें रहती हैं।

प्रदर्शनियों का आयोजन: सरकार द्वारा समय-समय पर इन उद्योगों से निर्मित वस्तुओं एवं उत्पादों की बिक्री व प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। मेलों, प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के द्वारा लोगों को इन उत्पादों को खरीदने हेतु जागरूक किया जाता है।

लाइसेंस में छूट: लघु एवं कुटीर उद्योगों की शुरुआत के लिए महिला उद्यमियों को किसी प्रकार के रेजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

विभिन्न संस्थाओं का सहयोग: लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है।

- **उद्योगिनी योजना**- महिला उद्यमियों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने हेतु उद्योगिनी योजना के अंतर्गत यह लोन 'पंजाब बैंक' द्वारा लचीली शर्तों और रियायती दरों पर दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, वे महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं।
- **अन्नपूर्णा योजना (फ़ूड कैटरिंग)**- विशेष रूप से जो महिला उद्यमी नाश्ता, टिफ़िन या पैकेज्ड फ़ूड आदि बेचने हेतु व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है।
- **सेंट कल्याणी योजना**- महिला उद्यमियों को अपना कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से यह योजना बहुत लाभकारी है। इसमें लोन लेने के लिए न ही कोई प्रोसेसिंग शुल्क लगता है, न ही किसी गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। यह लोन 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' द्वारा दिया जाता है।
- **महिला उद्योग निधि योजना**- महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत कोई भी महिला स्वरोजगार शुरू करने के उद्देश्य से 10 लाख तक का बिज़नेस लोन प्राप्त कर सकती है।
- **देना शक्ति योजना**- बहुत ही सस्ती दरों पर महिला उद्यमियों की सहायता हेतु 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। देना बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **ओरिएंट महिला विकास योजना**- ग्रामीण इलाकों के घरों में रहने वाली महिला उद्यमियों के लघु उद्योगों हेतु 10 से 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

- **स्त्री शक्ति पैकेज**- इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं के लघु एवं कुटीर उद्योगों में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एस. बी.आई. बैंक के साथ मिलकर कम ब्याज दरों पर अधिकतम 25 लाख तक का लोन प्रदान करती है।
- **मुद्रा योजना**- ग्रामीण क्षेत्र की महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' की शुरुआत सरकार द्वारा की गई थी। छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों को शुरू करने के उद्देश्य से 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है।

ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याएं

1. **पूंजी की कमी**: चाहे कुटीर हो या लघु उद्योग, पूंजी का अभाव में कोई भी रोजगार का कार्य संभव नही है। सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण महिलाओं के नाम पर स्वीकृत हो जाते हैं, किंतु उसका ज़्यादातर उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनके परिवार के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वित्त संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता अभी भी महिलाओं से कोसों दूर है।
2. **कच्चे माल की समस्या**: गाँवों में इतने पर्याप्त संसाधन नही होए की कच्चे माल की आपूर्ती निरंतर और उचित मूल्य पर मिलती रहे। खासकर महिलाओं के लिए तो कच्चे माल की उप्लब्धता एक बड़ी चुनौती है, जिस वजह से उन्हें कभी-कभी घटिया कच्चा माल भी अधिक मूल्य पर क्रय करना पड़ता है।
3. **कुशलता का अभाव**: कुशलता की कमी के कारण ग्रामीण महिलाएं नवीन तकनीकों एवं मशीनों का प्रयोग नही कर पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना आ जाती है और वे अपना पीर योगदान नही दे पातीं।
4. **उचित मूल्य प्राप्त न होना**: बिचौलियों द्वारा काम दाम पर इनसे सामान खरीदकर बाज़ारों में अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है, जिस वजह से इन्हें अपना उत्पादन व सेवाओं का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता।
5. **परिवहन व संचार सेवाओं की कमी**: ग्रामीण स्तर पर अपने उत्पादों को बाज़ार में बेचने के लिए परिवहन और संचार सेवाओं की कमी के कारण न तो ये वस्तुएँ व्यापक स्तर पर उपलब्ध हो पाती है और न ही उन लोगों को उनके श्रम के अनुसार उसका उचित मूल्य मिल पाता है।

6. **आधुनिकरण का प्रभाव**: तकनीकी युग में मशीनों के आविष्कार से लघु एवं कुटीर उद्योग भी अछूता नहीं है किंतु अशिक्षा, अज्ञानता के कारण उनका सदुपयोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में कमी आ रही है।

7. **पारिवारिक सहयोग का अभाव**: जो महिलाएं काम करना चाहती तो हैं, लेकिन कुछ परिवारों में उनका न तो साथ दिया जाता है और न ही सहयोग। जिसके फलस्वरूप महिलाएं इन व्यवसायों में शामिल न ही हो पाती हैं। प्रतिभा व कौशल होने के बावजूद वे घर की चहारदीवारी में कैद रहकर जीने को मजबूर हो जाती हैं।

ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

1. ग्रामीण महिलाओं के कार्य-कौशल में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। विभिन्न उद्योग संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जाए।

2. पूंजी की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उसका लाभ सीधे लाभार्थी, अर्थात महिला उद्यमियों को ही प्राप्त हो।

3. परिवार द्वारा सहयोग व स्वयं का व्यवसाय करने हेतु महिलाओं को प्रेरणा व स्वतंत्रता दी जाए।

4. संचार माध्यमों एवं परिवहन की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि हर महिला उद्यमी अपने ग्राहकों से आसानी से जुड़ सके एवं अपने उत्पादों को उन तक आसानी से पहुँचा सके।

5. कच्चे माल की उप्लब्धता एवं उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्थानीय स्तर पर बाज़ार की उप्लब्धता।

6. ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे वे आधुनिक समय के तकनीकी यंत्रो का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकें।

7. प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन अधिक से अधिक किया जाए जिससे व्यापक स्तर पर इसके प्रचार-प्रसार की व्यवस्था हो सके।

8. स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

कुछ ग्रामीण महिला उद्यमियों के उदाहरण

फखरपुर की सुमित्रा

सुमित्रा गुप्त 'फखरपुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश' के ग्रामीण परिवेश की महिला हैं। उनकी दशक भर पहले आर्थिक स्तिथि अच्छी नही थी। वर्ष 2014-2015 में एक स्वयं सहायता समूह 'संजीवनी प्रेरणा' से इन्होंने 50 हज़ार का लोन लिया। इस नकद से उन्होंने अपना एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें वे खाद्य सामग्री रखने के पैकेट बनाए और अपना कारखाना लगाया। उन पैकेटों में आंटा, हल्दी, मिर्ची पाउडर, गर्म मसाला आदि जैसे सामान पैक करके बेचने का कार्य शुरू किया। इससे वे धीरे-धीरे स्वावलंबी बनीं। अब वे अपनी खुद की चक्की से जिसे वे सोलर पावर से संचालित करती हैं, ये सारे काम करती है एवं गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। सोलर चक्की लगवाने से प्रदूषण की चिंता भी समाप्त हो गयी और उससे लाभ भी हो रहा है।

देवास जिले की ग्रामीण महिलाएं

'देवास' मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां की ग्रामीण महिलाएं स्वविलंबी होने की अपनी-अपनी कहानी लिख रही हैं। यहां की ग्रामीण महिलाओं को शासन द्वारा 'एक जिला, एक उत्पाद' के अंतर्गत बांस के उत्पाद बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। महिलाओं द्वारा तैयार किये गए विभिन्न सामान बाज़ारो में बेचे जाते है। इसके अलावा ये उत्पाद देश-विदेशों में भी निर्यात किये जाते हैं। इन महिलाओं द्वारा बांस की डलिया से लेकर बांस के घर तक बनाये जाते है। इस व्यवसाय से 1200 से अधिक महिलाओं को लाभ हो रहा है। जो महिलाएं पहले खेती में, मज़दूरी कर अपनी रोज़ी रोटी कमेटी थी, अब वे इस काम से औसतन 15-15 हज़ार रुपये कमा रही हैं। इस समूह की अनेक महिलाएं कहती है कि इस तरह महिलाओं का जीवन अच्छा होता जा रहा है। महिलाएं तकनीक का प्रयोग कर मशीनों पर काम कर रही हैं और अपना जीवन व्यापन अच्छी तरह से कर रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं की यथाशक्ति में परिवर्तन लाने एवं परिवार के सदस्यों के साथ शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। हमारे देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। महिला उद्यमिता इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अपना योगदान दे रही हैं। अतः आवश्यकता है कि ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सुविधा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी योग्यता एवं कुशलता को प्रोत्साहित किया जाए। इतना

ही नही, कुटीर एवं लघु उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करने में साथ-साथ प्राचीन कला-कौशलों का संरक्षण व संवर्धन भी करते हैं। गाँवो के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका की महत्ता को बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा था-"जब तक हम ग्राम्य जीवन की पुरातन हस्तशिल्प के संबंध में पुनः-जागृत नहीं करते, हम गाँवो का विकास एवं पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे।

कुटीर एवं लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं रोजगार के द्वारा न केवल स्वयं को सशक्त बना रही हैं अपितु अपने परिवार या समुदाय के सदस्यों के लिए भी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्रों में वर्तमान समय में तेज़ी से अग्रसर हो रही हैं।

संदर्भ सूची

1. आज तक, नई दिल्ली, 30 अगस्त 2022, 7:45 AM, IST
2. रौशन आर.के., आर.के.आर स्टडी.नेट लिंक- https://rkrstudy.net/laghu-evn-kutir-udyog/
3. कश्यप कुमार जगन्नाथ, सिंह नेहा, "लघु एवं कुटीर उद्योग में रोजगार", कुरुक्षेत्र पत्रिका, अक्टूबर 2015
4. यादव कुमार आलोक, "एडिटर- A Journal of Social" , प्रवक्ता समाज शास्त्र, विवेकानंद ग्रामोद्योग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दिबियापुर, औरैया।
5. दैनिक जागरण समाचार पत्रिका, जनवरी 21, 2023।
6. दैनिक जागरण समाचार पत्रिका, जनवरी3 3, 2023।
7. Aatmnirbhar Bharat, Link- https://tafcop.dgtelecom.gov.in/number-listing.php
8. बरुआ बी श्रीपर्णा, "महिला उद्यमियों हेतु अवसर एवं चुनौतियां, Pg-48-51, फरवरी 2020।
9. हिंदी नोट्स, Link- https://www.hindinotes.org/2019
10. पांडा कुमार अरुण, "लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तिकरण", Pg-9-12, योजना पत्रिका, संस्करण- नवंबर 2017।